प्रेस नोट
दिनांक 16.04.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा लोकसभा सामान्य चुनाव 2024 ड्यूटी हेतु जनपद गोण्डा से प्रथम चरण में बिजनौर को जाने वाले पुलिस बल को किया गया ब्रीफ–

पुलिस अधीक्षक द्वारा बिजनौर जनपद में चुनाव ड्यूटी में लगे 26 उ0नि0 व 308 मुख्य आरक्षी/आरक्षी को 08 बसों में पार्टीवार हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया–

गोण्डा। आज दिनांक 16.04.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा लोकसभा सामान्य चुनाव 2024 के दृष्टिगत जनपद गोण्डा से वाह्य जनपद बिजनौर में चुनाव ड्यूटी में लगे 26 उ0नि0 व 308 मुख्य आरक्षी/आरक्षी को पुलिस लाइन गोण्डा में ब्रीफ किया गया। ब्रीफिंग के दौरान महोदय द्वारा पुलिस बल को सम्बोधित करते हुए कहा गया कि सभी पुलिस कर्मी फोटोयुक्त पहचान पत्र अपने साथ रखेंगे तथा अच्छी वर्दी धारण करते हुए उत्तम आचरण व अनुशासन का पालन करेंगे साथ ही साथ सभी पुलिस बल आवंटित बसों से ही संचरण करेंगे। महोदय द्वारा पुलिस बल को अपने दायित्वों का निवर्हन कर चुनाव में अनुशासित रहकर निष्पक्षता व निष्ठापूर्वक ड्यूटी करते हुए चुनाव को सकुशल सम्पन्न करवाने हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस बल हेतु गर्मी के मौसम के दृष्टिगत पर्याप्त मात्रा में ओआरएस के पैकेट, फर्स्ट एंड किट, जीवन रक्षक दवाये की व्यवस्था की गयी है तथा पौष्टिक भोजन हेतु 04 मेस मैनेजर सहित 16 अनुचरों को लगाया गया है। महोदय द्वारा समस्त पुलिस बल को क्षेत्राधिकारी करनैलगंज चन्द्रपाल शर्मा के नेतृत्व में 08 बसों में पार्टीवार हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया।

इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी राधेश्याम राय, क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा, प्रतिसार निरीक्षक व चुनाव प्रभारी सहित अन्य अधि0/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>

<u>दिनांक 16.04.2024, थाना खरगूपुर</u>

<u>जनपद गोण्डा।</u>

<u>थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा दहेज मृत्यु के वांछित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-</u>

<u>कार्यवाही-</u>

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा कड़ी मेहनत व अथक मु०अ०सं० 89/2024 धारा 498A, 304B आईपीसी व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित 02 नफर वांछित अभियुक्तो 01. कृपाराम यादव 02. अभियुक्ता फूलमती को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण-</u>

दिनांक 01.04.2024 को वादी द्वारा थाना खरगूपुर में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी लडकी की शादी दिनेश कुमार यादव के साथ हुई थी। मेरी लड़की को ससुरालजनों द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते हुए जान से मार दिए है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खरगूपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान दोषी पाये गए 02 आरोपी अभियुक्त 01. कृपाराम यादव व अभियुक्ता 02. फूलमती को आज दिनांक 16.04.2024 को ग्राम निधिनगर थाना खरगूपुर उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण-</u>

01. कृपाराम यादव पुत्र दशरथ निवासी ग्राम निधिनगर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
02. फूलमति पत्नी कृपाराम निवासी ग्राम निधिनगर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

<u>पंजीकृत अभियोग-</u>

01. मु०अ०सं० 89/2024 धारा 498A,304B भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोंडा।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम-</u>

01. उ०नि० श्री चन्द्रसेन वर्मा
02. का0 दीपक सिंह
03. म0का0 वैष्णवी तिवारी

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

<u>प्रेस नोट</u>

<u>दिनांक 16.04.2024</u>

थाना परसपुर पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की के साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी करनैलगंज श्री चन्द्रपाल शर्मा के नेतृत्व में गठित थाना परसपुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-144/24, धारा 376डी0ए0, 506 भादवि व 5जी/6 पाक्सो ऐक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अनूप कुमार उर्फ लल्लू पुत्र राघवराम निवासी रमेश्वरपुरवा सुसुण्डा थाना परसपुर जनपद गोण्डा को बालपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण-</u>

दिनांक 13.04.2024 को थाना परसपुर क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना परसपुर में लिखित तहरीर दी गयी की विपक्षीगणों द्वारा उसकी नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म किया गया है। वादी की तहरीर पर थाना परसपुर में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त अनूप कुमार उर्फ लल्लू को आज दिनांक 16.04.2024 को कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत बालपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त-</u>

01. अनूप कुमार उर्फ लल्लू पुत्र राघवराम निवासी रमेश्वरपुरवा सुसुण्डा थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-144/2024, धारा 376डी0ए0,506 भादवि व 5जी/6 पाक्सो ऐक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. प्र0नि0 परसपुर प्रदीप कुमार शुक्ला।
02. का0 आनन्द कुमार सिंह
03. का0 राजेश यादव

प्रेस नोट
दिनांक 16.04.2024, थाना को0कर्नलगंज
जनपद -गोण्डा।

थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा अवैध देशी तमंचा के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार,

कार्यवाहीः-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा लोकसभा समान्य चुनाव- 2024 के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री चन्द्रपाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना कर्नलगंज पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान कटरा क्रासिंग कस्बा कर्नलगंज के पास से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ अभियुक्त जैनुल आब्दीन पुत्र बसीर अहमद निवासी नई बाजार कस्बा थाना को0कर्नलगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना को0 कर्नलगंज में मु0अ0स0 161/2024 धारा 3/25 आर्मस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 16.04.2024 को थाना को0कर्नलगंज के उ0नि0 आशीष कुमार मय फोर्स के साथ लोक सभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण/ गस्त में रवाना थे कि टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों के चेकिंग के दौरान कटरा क्रासिंग कस्बा कर्नलगंज के पास से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ अभियुक्त जैनुल आब्दीन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना को0कर्नलगंज में मु0अ0स0 161/2024 धारा 3/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. जैनुल आब्दीन पुत्र बसीर अहमद निवासी नई बाजार कस्बा थाना को0कर्नलगंज जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 161/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

1. 01 अदद अवैध देशी तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 आशीष कुमार
02. का0 शरद कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।